

प्रेस नोट दिनांक 07.08.2024

जनपद चन्दौली

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□ "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 28.01.1992 को धारा 379,411 भादवि व 5/26 भा0वनअधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामवचन चौहान पुत्र हिन्चलाल निवासी कटरा थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर के विरुद्ध अपराध संख्या-18/1992 धारा 379,411 भादवि व 5/26 भा0वनअधि0 थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत

अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी विनय कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 07.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि0) /न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त 1.रामवचन चौहान पुत्र हिन्चलाल निवासी कटरा थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर को जेल में बितायी गयी अवधी व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक 07.08.2024

जनपद चन्दौली

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 19.05.2005 को धारा 3/5ए/8गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रु0नि0अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.पारस पुत्र बेचू बियार निवासी ग्राम उसौरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 91/2005 धारा3/5ए/8गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रु0नि0अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 07.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त 1.पारस पुत्र बेचू बियार निवासी ग्राम उसौरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधी व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

### प्रेस नोट दिनांक 07.08.2024

#### जनपद चन्दौली

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□ "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत आर्म्स एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**जनपद चन्दौली थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-**

1-दिनांक 19.05.2005 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.पारस पुत्र बेचू बियार निवासी ग्राम उसौरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 99/2005 धारा4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 07.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त 1. पारस पुत्र बेचू बियार निवासी ग्राम उसौड़ी थाना बबुरी जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधी व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।